न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस
अपील संख्या 24/2017 एल आर एक्ट (GCMS No 2017/ 00038)
अनवान उमादेवी बनाम शीशपाल, वगैरह
अपील विरूद्व आदेश– तहसीलदार (भू.अ.) नोहर दिनांक 24.07.2009

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
02.09.2024	पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार (भू.अ.) नोहर के निर्णय दिनांक 24.07.2009 तथा इस पर आधारित इन्तकाल सं. 1196 दिनांक 27.07.2009 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर उक्त निर्णय व इन्तकाल को निरस्त कर वसीयती इन्तकाल दर्ज करने के आदेश देने का अनुतोष चाहा गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने दिनांक 13.02.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य एक दावा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 नोहर में विचाराधीन था उक्त न्यायालय के आदेश के विरूद्व प्रार्थी ने एक अपील नं. 19/2019 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की है। जिसमें न्यायालय ने तमाम संपतियो बाबत दिनांक 22.01.2019 को स्थगन आदेश दिया है, उक्त अपीलाधीन आदेश में विवादग्रस्त संपति भी शामिल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के स्थगन आदेशानुसार उक्त पत्रावली प्रोसिडिग स्थगित करने की कृपा करे। उन्होने ने दिनांक 23.07.2024 को बहस के दौरान कथन किया कि उक्त प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अभी भी विचाराधीन चल रहा है । अतः राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के स्थगन आदेशानुसार उक्त पत्रावली में प्रोसीडिग स्थगित करने की कृपा करे। अभिभाषक अपीलान्ट ने भी प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन होने का कथन किया है। हमने विद्वान अभिभाषकगणो के कथनो पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन/ विश्लेषण किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपील में वर्णित भूमि की यथास्थिति रखे जाने के आदेश पारित किए गये है। उक्त अपील वर्ष 2013 से विचाराधीन चल रही है। इस न्यायालय में विचाराधीन उक्त अपील को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तक आगामी पेशी दी जाकर ओर लम्बित रखा जाना भी न्याय की दृष्टि से उचित नही होगा । प्रकरण को उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्षा मे रखा जाना न्यायोचित होगा। अतः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर स्तर से S.B. Civil First Appeal NO. 19/2019 के निस्तारण तक इस अपील की अन्य कार्यवाही न्यायालय हाजा द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। लिहाजा अपील इसी स्तर निर्णित की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पश्चात यदि पक्षकारान चाहे तो इस अपील को पुनः सुनवाई हेतु रखने के लिए स्वतंत्र है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर	